

--:: कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.) ::--

--:: ज्ञापन ::--

क्रमांक 1649/एक-6-20/11

19 FEB 2025
उज्जैन, दिनांक फरवरी, 2025

प्रति,

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
उज्जैन


विषय :- विचाराधीन एवं दण्डित बंदियों की मृत्यु/असामयिक मृत्यु होने की स्थिति में न्यायिक जांच के संबंध में।

---0000---

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है विचाराधीन एवं दण्डित बंदियों की मृत्यु/असामयिक मृत्यु होने की स्थिति में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 176 (1-ए) बी संशोधित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 196 (1-ए) बी के अनुसार न्यायिक जांच किये जाने हेतु किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जांच किये जाने का उल्लेख है। उक्त ड्यूटी लगाये जाने का मात्र एकाधिकार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश का है।

भविष्य में उक्त जांच हेतु मेरे द्वारा स्थानीय क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत न्यायिक जांच किये जाने हेतु किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई जावेगी।

अतः आप भविष्य में विचाराधीन एवं दण्डित बंदियों की मृत्यु/असामयिक मृत्यु होने की सूचना प्राप्त होने पर उक्त जांच हेतु किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी न लगायें।

 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)


पृ. क्रमांक 1650/एक-6-20/11

उज्जैन, दिनांक अक्टूबर, 2024

प्रतिलिपि :- (1-5)

19 FEB 2025

- 1- समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटगण जिला उज्जैन
- 2- जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल उज्जैन
- 3- उप जेल अधीक्षक सब जेल खाचरौद/बड़नगर/तराना/महिदपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)

